

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015

कार्यालय आदेश.....125.../2026

सं०सं० अ०नि० (02) 73/2026/नि०सं०

श्रीमती रश्मि सिन्हा, मुख्य अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, अरवल को बिहार सेवा संहिता के नियम-243 के टिप्पणी-03 के आलोक में दिनांक 01.06.2026 से 30.11.2026 तक कुल 183 (एक सौ तिरासी) दिनों का स्वयं की कैंसर के ईलाज कराने हेतु आधे औसत वेतन पर विशेष अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

3. श्रीमती सिन्हा के अवकाश अवधि में श्री विवेकानन्द श्रीवास्तव, सहायक अभियोजक अपने कार्यों के अतिरिक्त मुख्य अभियोजक, अरवल के प्रभार में रहेंगे।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 73/2026/नि०सं०.....

दिनांक

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, अरवल/मुख्य अभियोजक, अरवल/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती रश्मि सिन्हा, मुख्य अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, अरवल/श्री विवेकानन्द श्रीवास्तव, सहायक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 73/2026/नि०सं०.....1589

दिनांक 22/6/26

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/6/26
उप सचिव।